



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230448
CG-DL-E-16102021-230448

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]
No. 465]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

परिशिष्ट/अनुशेष अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

फा. सं. अभातशिप/पी एंड एपी/अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) विधाएं/2021.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 की उप-धारा (i) के साथ पठित धारा 10 (i) और (v) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद् शिक्षा द्वारा 28 अप्रैल, 2017 को "शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग)/प्रौद्योगिकी में डिग्री के लिए अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग)/प्रौद्योगिकी की प्रमुख (मेजर)/महत्वपूर्ण (कोर) शाखाएं एवं उनके प्रासंगिक/उपयुक्त पाठ्यक्रम, विनियम 2017" राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी।

उक्त राजपत्र अधिसूचना की विषयवस्तु से विभिन्न नौकरी के प्रत्याशियों और सरकारी संगठनों को डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर पर अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) और प्रौद्योगिकी में अर्हताएं रखने वाले उम्मीदवारों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने के लिए निर्णय लेने में सामना की जाने वाली कठिनाई और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)—2020 में बहु-विषयक और लचीलेपन के सम्बन्ध में किए गए प्रावधानों को भी ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संगठनों द्वारा अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) और प्रौद्योगिकी की संबंधित महत्वपूर्ण (कोर) शाखाओं और संबद्ध (एलीड) शाखाओं को निर्धारित करते समय अधिसूचित की गई स्नातक डिग्री (यूजी) और स्नातकोत्तर डिग्री (पीजी) स्तर की प्रासंगिक/उपयुक्त शाखाओं की सूची को उनके नामकरण के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए। उपरोक्त संदर्भित राजपत्र अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई शाखाओं के अलावा अन्य शाखाओं से संबंधित उम्मीदवारों के मामले (मामलों) को, भर्ती संगठनों द्वारा संबंधित संगठन की नौकरी की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक मामले की मैरिट (योग्यता) के आधार पर उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करके उनकी बैठक द्वारा निपटाया जा सकता है।

प्रो. राजीव कुमार, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./326/2021-22]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION**ADDENDUM NOTIFICATION**

New Delhi, the 06th October, 2021

F. No. AICTE/ P&AP/ Engg. Discipline/2021.—In exercise of the powers conferred under sub-Section (i) of Section 23 read with Section 10 (i) and (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education issued Gazette Notification on 28th April, 2017 viz. “All India Council for Technical Education Regulations (Major / Core Branch of Engineering / Technology and their relevant/ appropriate courses leading to degree in Engineering / Technology), 2017” for recruitment to teaching positions.

Keeping in view the contents of the aforesaid Gazette Notification, the difficulty is being faced by various job seekers and Government organizations in taking decision for recruitment of candidates for various posts having qualifications in Engineering and Technology at Degree and PG Level and also the provisions made in the new National Education Policy (NEP)-2020 about multidisciplinary and flexibility, it is hereby clarified that the aforesaid organizations should take into consideration the list of major disciplines of Engineering and Technology and their relevant/ appropriate branches with nomenclatures of UG and PG degrees as notified while deciding the Core branch and Allied branches. The Cases of candidates pertaining to the branches other than those pointed out in the above referred Gazette Notification, may be dealt with by recruiting organizations by convening a meeting of the Committee of Experts to decide the suitability based on the merit of each case(s) and the job requirements of the concerned organization.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./326/2021-22]